न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.न. - 111/2022
12.08.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण मे समय अभाव मे निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वादपत्र में बहस सुने एक माह से भी अधिक का समय हो चुका है। वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 16.08.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
16.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 22.08.2024 को पेश हों। पीठासीन अधिकारी महो. अन्य कार्य. में व्यस्त है। (रीडर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
22.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हों। पीठासीन अधिकारी महो. जयपुर दौरे पर पधारे हुये है। (रीडर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
19.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण पुनः एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 16.10.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
16.10.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक — लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

भैरूराम बनाम र तनी देवी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 111/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा पेश वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को डिकी किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
111 / 2022	2022 / 195	05.08.2022	18.10.2024

उनवान प्रकरण

1. भैरूराम पुत्र महादा उम्र 78 साल
2. जगदीश पुत्र महादा उम्र 65 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी भीखरों की तन् ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादीगण–

बनाम्

1. रतनी देवी पत्नी स्व. राधेश्याम पुत्रवधू कन्या उर्फ कन्हैयालाल आयु 45 वर्ष
2. रमेश पुत्र स्व. राधेश्याम पौत्र कन्या उर्फ कन्हैयालाल आयु 20 वर्ष
3. अशोक पुत्र स्व. राधेश्याम पौत्र कन्या उर्फ कन्हैयालाल आयु 20 वर्ष
4. हजारी पुत्र कन्या उर्फ कन्हैयालाल आयु 58 वर्ष
5. कैलाश पुत्र कन्या उर्फ कन्हैयालाल आयु 58 वर्ष
6. बद्री पुत्र नरसा
7. कालू पुत्र नरसा
8. मदन पुत्र नरसा
9. शिम्भू पुत्र नरसा
10. जगन्नाथ पुत्र नरसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

②

समस्त जाति डाकोत (भार्गव) निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०

12. उपपंजीयक अजीतगढ जिला सीकर राजस्थान

13. पटवारी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री महेन्द्र सिंह खैरवा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एड0 (प्रतिवादी संख्या— 5 की ओर से हिदायत पैरवी नहीं)
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से।

वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक,दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा (अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि नवीन खाता संख्या 114 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7228 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 7230 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 7337/7834 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड नरसा रत्ता, कन्या पिता बींजा डाकोत के नाम से है, जो कि कतई गलत है। रत्ता नरसा का पिता है जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी पिता शब्द लिखने से रह गया। ... के मध्य कुछ भी अंकित नही किया गया है। नरसा एवं ... इन दोनो का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये इनके वारिसान को प्रतिवादी ... पक्षकार बनाया गया है तथा कन्या का पुत्र राधेश्याम भी फौत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रकार उक्त खाते मे 1/2 हिस्सा कनया उर्फ कन्या उफ कन्हैयालाल इन दोनो का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये इनके वारिसान को प्रतिवादी/पक्षकार बनाया गया है तथा कन्या का पुत्र राधेश्याम भी फौत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 है। इस प्रकार उक्त खाते में 1/2 हिस्सा कनया उर्फ कन्या उर्फ कन्हैयालाल का था एवं 1/2 हिस्सा नरसा का था। वादीगण कनया उर्फ कन्या उर्फ कन्हैयालाल की 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी प्रकार नवीन खाता संख्या 113 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7237 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 7238 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित होकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड 1/2 हिस्सा कन्या पुत्र बींजा के नाम एवं 1/2 हिस्सा नरसा पुत्र रत्ता के नाम अंकित है जो कि कतई गलत है। वादीगण कनया उर्फ कन्या उर्फ कन्हैयालाल की 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण खाता संख्या 114 के कुल रकबा 1.11 हैक्टर के 1/2 हिस्से पर एवं खाता संख्या 113 के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि को वादीगण वक्त बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोकटोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर रहे है। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार विपरीता कब्जा के आधार पर भी वादीगण कानूनन उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुके है ओर उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है अर्थात उक्त घोषणा करवाकर वादीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण वक्त बुजुर्गान अर्थात पिता/दादा के समय से लगातार इस भूमि पर काबिज होने से उक्त भूमि बाबात खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहे है क्योंकि उक्त भूमि पर वादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है अर्थात इस भूमि पर [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और उक्त अधिकारो [illegible] आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त खातेदारी अधिकारो की [illegible] वादीगण अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो रहे है। जिसके बाबत वादीगण को [illegible] हकतल्फी है तथा वादीगण उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

घोषणा के अभाव मे वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहे है तथा समय-समय पर भू-धारको को मिलने वाली राजकीय सहायताओ से भी वादीगण वंचित हो रहे हैं। यहाँ यह भी लिखा जाना न्यायोचित है कि वादीगण व उसके पर्वूजो का कब्जा खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2033 के रिकार्ड मे भी वादीगण का इन्द्राज काश्तकार के रूप में अंकित है। जो दावा मे पेश की जा रही है। जो भी वादीगण का पुराना कब्जा साबित करता है। उक्त भूमि से दीगर का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नही है तथा वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से कराने को अधिकारी है। वादीगण उक्त भूमि पर कदीम से काबिज काश्त होने के कारण खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। केवल प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 10 के पूर्वजो का नाम गलती से अंकित हो गया। जिस बाबत प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने एक लिखावट लिखवायी है जो प्रहलाद महाजन की कलम से लिखी गयी है। जिसमें उन्होने उक्त जमीन में केवल नाम होने की एवज में वादीगण के पूर्वजो से उक्त पेटे 1800/- रूपये प्रति बीघा के हिसाब से विकय किया था जिसमें 7000/- रूपये दिनांक 20.11.1980 को एवं 4000/- रूपये दिनांक 06.12.1980 को व 2000/- रूपये ओर लिये थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वादपत्र की वर्णित भूमियों के सटाकर चारो तरफ वादीगण की खातेदारी एवं हक अधिकार कब्जा काश्त की भूमि हैं जिससे भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना पूर्णरूपेण सिद्ध करती हैं। गांव में आम जनता के आग्रह पर सन 1998 में सरकारी स्कूल के लिये रोड से सटाकर भूमि वादीगण ने अपनी स्वेच्छा से दान में दी है तथा उक्त दान में दी गयी भूमि की विद्यालय पट्टिका पर वर्णन किया हुआ है एवं पत्थर आदि इस बाबत लगा हुआ है जिसमें पूर्ण विवरण हैं। वादीगण ने ग्राम के आम जनता के हितार्थ अपनी भूमि में से भूमि दान में दी है। वादीगण ने समय-समय पर उक्त भूमि को अपनी स्वयं की मेहनत व लाखो रूपये लगाकर उन्नत एवं उपजाउ बनाकर है भूमियों को समतल करवाया हैं। वादीगण उक्त भूमियों पर कदीम से काबिज होने एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नही होने के कारण वादीगण को सख्त हकतल्फी है। वादीगण सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान केडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे हैं एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादीगण वंचित हो रहे हैं एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादीगण वंचित हो रहे है। वादीगण ने अपने नाम से नामान्तकरण के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो वादीगण को उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुयी ओर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड पर पता चलने पर वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 ता 10 को कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 ता 10 पहले तो आश्वासन देते रहे कि तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा देगें, परन्तु अब भूमियो की बेतहाश बढती कीमते देखकर प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी पैदा हो गयी और अब अर्सा दस रोज पुर्व वादीगण जब अपनी भूमि को काश्त कर रहे थे तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 10 व इनके नुमाईन्दे व भूमाफियावृति के लोग वादीगण की जमीन पर आकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो गये। वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाये जाने का निवेदन किया है कि ईस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 7228 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 7230 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 7337/7834 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में 1/2 हिस्से का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से रत्ता, कन्या पिता बींजा डाकोत का नाम तथा इनके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 10 व अन्य का नाम अंकित हो जाता है तो उनका राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने एवं शेष 1/2 हिस्सा नरसा के नाम रखे जाने तथा इसी प्रकार नवीन खाता संख्या 113 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 7237 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 7238 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त 1/2 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

से मृतक कन्या पिता बीजा डाकोत का नाम तथा इनके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 10 व अन्य का नाम अंकित हो जाता है तो उनका राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने एवं शेष 1/2 हिस्सा यथावत रखे जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे कृषि भूमि खसरा नम्बर 7228 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 7230 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 7237/7834 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर व खसरा नम्बर 7237 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 7238 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करे ना दीगर से करावें, ना ही निर्माण करे, ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करे, ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करें ना ही भूमियों को खुर्द बुर्द करे, ना ही किसी अन्य से ऐसा करवायें तथा अपने नाम राजस्व किराड्ड में गलत रूप से अंकन हुई उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर दीगर किसी भी प्रकार से कोई अन्तरण, विकय नही करें, ना ही किसी बैंक या वित्तिय संस्था में गिरवी एवं बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करे। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 ता 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवायी गई। प्रतिवादी नम्बर 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता [illegible] 13 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई [illegible] की ट्रैकिंग रिपोर्ट भी पेश हो चूकी हैं। प्रतिवादीगण [illegible] अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या–1 से 4 व 6 से 13 के विरूद्ध एकपक्षीय [illegible]वाही अमल में लाई गई। वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादी संख्या–5 को जवाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर दिए जा चूके है। पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही किए जाने पर प्रतिवादी संख्या–5 की जवाबदेही दिनाक 28.12.2023 को बंद की जाकर साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादीगण में वादी भैरूराम, जगदीश पुत्रगण महादा के मुख्य परीक्षण में एवं वादीगण साक्ष्य के गवाह में सुगनाराम, भोलाराम व हीराराम का मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए गए। वकील प्रतिवादी संख्या–5 ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी किए जाने से इंकार किया। वकील प्रतिवादी द्वारा हिदायत पैरवी नहीं किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई तथा वकील वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात् को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2073–2076, 2074–2077 की दो–दो जमाबन्दीयॉ, जमाबंदी खेवट खतौनी 2012–2015, 2018–2021, 2030–2033, नक्शा ट्रेस सम्वत् 2031 व वर्ष 1979–80, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल की प्रति, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2012, 2013–2015, 2016–2018, 2019, 2022–2025, 2031–2034, लिखावट सादा कागज पर जमीन की कुल कीमत 7000/– रूपये बाबत जिसमें 4000/ रूपये दिनांक 20.11.1980 को व 2000/– रूपये दिनांक 06.12.1980 को काली स्याही के पेन से लिखे कागज की मूल प्रति, स्व0 प्रभाती देवी पत्नी भैरूराम पुत्र मागाराम कोक कि [illegible] की काश्त की भूमि सन् 1998 में राजस्थान सरकार को स्कूल हेतु भेंट किए जाने के [illegible] की फोटोग्राफ, पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.10.2024 की प्रमाणित प्रति, वादीगण के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां, साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में पेश वादीगण व गवाहान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 7228 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 7230 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 7337/7834 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रत्ता, कन्या पिता बींजा, नरसा पुत्र बींजा कोम डाकोत के नाम एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 7237 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 7238 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्टर राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से की खातेदारी कन्या पिता बींजा डाकोत व 1/2 हिस्से की खातेदारी नरसा पुत्र बींजा के फौत होने पर नरसा के विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रकट होता है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 में पुराने खसरा नम्बर 4043 व 4044 की खातेदारी नरसा पुत्र रत्ता, कन्हैया पुत्र बींजा कोम डाकोत सा.देह हरिपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होकर सम्वत 2030 तक जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज होना प्रकट होता है। इसके पश्चात जमाबंदी सम्वत 2030–2033 में नरसा पुत्र रत्ता, कन्हैया पुत्र बींजा कोम डाकोत सा.देह हरिपुरा के स्थान पर नरसा, रत्ता, कन्या पिता बिंजा कोम डाकोत सा. देह हरिपुरा के नाम से होकर वर्तमान चौसाला जमाबंदी सम्वत 2074–2077 तक लगातार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आना प्रकट होता हैं। पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी की जांच रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अवगत कराया है कि जमाबंदी सम्वत 2017 से 2021 व जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 में नरसा पुत्र रता, कन्हैया पुत्र बींजा कोम डाकोत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा जमाबंदी सम्वत 2065–68 में नरसा पुत्र रत्ता, कन्या पुत्र बींजा जाति डाकोत की जगह नरसा, रत्ता, कनया पिता बींजा जाति डाकोत के नाम तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074 से 77 के खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 7228 रकबा 0.92, 7230 रकबा 0.16 व 7237/7834 रकबा 0.03 हैक[illegible]या पुत्र बींजा हिस्सा 1/3, नरसा पुत्र बींजा हिस्सा 1/3 एवं रत्ता पुत्र बींजा हिस्सा 1/3 जाति डाकोत जबकि दूसरे खाता संख्या 113 में कन्या पुत्र बींजा हिस्सा 1/2 एवं नरसा पुत्र बींजा हिस्सा 1/2 की विरासत कालूराम, जगमाल, बद्री, मदनलाल, शिम्भू पुत्रान नरसा एवं दुर्गा, प्रेम, भगवती

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पुत्रीयां नरसा हिस्सा 1/2 का नामातकरण दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध लिखावट दस्तावेज से जो प्रहलाद महाजन की कलम से लिखी गई है ने उक्त जमीन केवल प्रतिवादीगण के नाम होने की एवज में वादीगण के पूर्वजों द्वारा 1800/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से कुल 7000/– रूपये में जमीनी कीमत पेटे आकी जाकर क्रय किया जाना मूल लिखावट से प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के सटाकर चारो तरफ वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 7337, 7338, 7339 होना तथा खसरा नम्बर 7337 के रोड से सटाकर होना उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट होता हैं। कब्जेशुदा वादग्रस्त भूमि में से स्वर्गीय प्रभाती देवी पत्नी भैरूराम पुत्र माघाराम कोक, ढाणी भीखरू की याद में अपनी काश्त की भूमि सन् 1998 में राजस्थान सरकार को स्कूल हेतु भेंट दिए जाने के शिलालेख की फोटोग्राफ से स्पष्ट होकर सडक पर उक्त सरकारी स्कूल का अवस्थित होना प्रतित होता है। जिस बाबत भी आज तक किसी भी व्यक्ति का कोई उजर नहीं रहा है। जो वादीगण के कब्जे एंव दावें को प्रमाणित करता है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2012, 2019, 2031, 2034 में वादीगण भैरू, जगदीश पुत्रगण माधा कोम जाट का नाम उपकृषक के कॉलम में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर शुरू से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन तामील करवाई जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण का न्यायालय में उपस्थित नहीं होना तथा केवल मात्र एक प्रतिवादी संख्या 5 का जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्र गुप्ता के माध्यम से उपस्थित आकर पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 5 की जवाबदेही बंद की जाकर आगे की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिए जाने के उपरांत भी वकील प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बचाव में पैरवी नहीं की जाकर हिदायत पैरवी नहीं होना खुले न्यायालय में जाहिर करने से यह [illegible] ता है कि प्रतिवादीगण वादपत्र में अंकित तथ्यों से असहमत नहीं है तथा वादग्रस्त [illegible] भूमियों पर वादीगण ही शुरू से लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा इत्यादि नहीं है तथा उक्त

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर वादीगण ही काबिज है। यदि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की हकतलफी होती तो वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करते। जबकि प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर के उपरांत भी वादीगण के दावें का कोई खण्डन नहीं किया है। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों की साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत वादीगण द्वारा पेश किए गए लिखितशुदा शपथ पत्र व वादीगण साक्ष्य गवाहान में पेश शपथपत्रों से भी वादपत्र में अंकित कथनो की भी पुष्टि होती हैं। इसके साथ ही पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से भी यह प्रकट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी पूर्व में जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015, 2017 से 2021 व 2022 से 2025 में कन्या पुत्र बींजा व नरसा पुत्र रता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना तथा आगे की जमाबंदियों में सहवन से रता के पुत्र नरसा के नाम के आगे पिता का नाम बींजा तथा रता पुत्र बींजा सहवन से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसको संशोधित किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज कनया पुत्र बींजा हिस्सा 1/3, नरसा पुत्र बींजा हिस्सा 1/3, रत्ता पुत्र बींजा हिस्सा 1/3 समस्त जाति डाकोत सा. देह खातेदार के स्थान पर कनया पुत्र बींजा हिस्सा 1/2 व नरसा पुत्र रत्ता हिस्सा 1/2 संशोधित किया जाता है। जिसमें से वादीगण द्वारा केवल मात्र कनया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र बींजाराम जाति डाकोत से उसके हिस्से की जमीन 1800/– रूपये एक हजार आठ सौ रूपये प्रति बीघा की दर से व जमीन में 6 पेड़ो की कीमत जोड़ी जाकर जमीन की कीमत पेटे 7000/– रूपये में सौदा किया जाकर उसमें से 4000/– रूपये दिनांक 20.11.1980 को एवं 2000/– रूपये दिनांक 06.12.1980 को नकद भूगतान किया जाना लिखावट से प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त भूमियॅा वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से लिखावट पर पूर्व में क्रय किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। वादीगण ने उक्त भूमियों पर अपने कब्जे काश्त के आधार पर प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज खातेदारी भूमियों में कनया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र बींजा हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु वादीगण को हिस्सा 1/2 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने से पूर्व उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर मूल्याकन किया जाकर मुद्राक शुल्क राशि राज्यकोष मे जमा करवाने की शर्त पर स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी भूमियों से कनया पुत्र बींजा हिस्सा 1/2 (व उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का नाम यदि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया हो तो उनका नाम) राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि वादीगण वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों में से सिंचित दरों के आधार पर उक्त भूमि का तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नियमानुसार मूल्याकंन किया जाकर मुद्रांक शुल्क राशि वादीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाई जाती है तो वादीगण को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 7228 रकबा 0.9200 हैक्टर, खसरा नम्बर 7230 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 7237/7834 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर अवस्थित तन् राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में 1/2 हिस्से का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड से कनया पुत्र बींजा हिस्सा 1/3 व रत्ता पुत्र बींजा हिस्सा 1/3 जाति डाकोत का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है एवं शेष 1/2 हिस्सा की खातेदारी नरसा पुत्र रत्ता के नाम यथा[illegible]ती है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 7237 रकबा 0.4[illegible] 0.4100 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर अवस्थित तन् राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादीगण को 1/2 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त 1/2 हिस्से से कन्या पुत्र ...हिस्सा 1/2 जाति डाकोत का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है एवं शेष 1/2 हिस्सा की खातेदारी नरसा पुत्र रत्ता के ...सान के नाम यथावत रखे जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदुपंरात उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.10.29 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested